बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– संचिका सं0– रे0/यो0 स्वी0– 6/18 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

विषय– किशनगंज में रीलिंग यूनिट की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिए कुल लागत रु0 1,56,45,431/– (एक करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार चार सौ इकतीस) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 1,00,00,000/– (एक करोड़) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार राज्य सरकार ने किशनगंज में रीलिंग यूनिट की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिए कुल लागत रु0 1,56,45,431/– (एक करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार चार सौ इकतीस) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रुपये) मात्र विमुक्त करने की कृपा की है।

2. स्वीकृत राशि रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष; मुख्य शीर्ष–4851–ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107 रेशम उत्पादन उद्योग, उप शीर्ष–0103– रेशम भवन, विषय शीर्ष– 0103.53.01– मुख्य निमार्ण कार्य मद से विकलित होगा। इसके लिए वर्तमान वर्ष में यथेष्ठ उद्व्यय/उपबंध प्राप्त है।

3. स्वीकृत राशि रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रुपये) मात्र की एकमुश्त निकासी वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से BTC–46 प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में संचालित खाता PLA 268 में जमा की जाएगी।

4. राशि की निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.2011 एवं 500 दिनांक 18.01.2011 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. इस योजना का कार्यान्वयन आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा संबंधित सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पूर्णिया की निगरानी में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किया जाएगा। यह प्राक्कलन प्राधिकार के पत्रांक 190/PDA दिनांक 15.01.2019 से प्राप्त हुआ है। प्राक्कलन में प्राधिकार की तकनीकी समिति का अनुमोदन दिनांक 09.01.2019 को प्राप्त है।

6. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे, जो सहायक उद्योग निदेशक (रे0), पूर्णिया के माध्यम योजना का अनुश्रवण करेंगे।

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या– रे0/यो0 स्वी0– 6/18........के पृष्ठ 16/टि0 पर दिनांक 04.02.2019 को प्राप्त आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका– 2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के उप सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0– रे0/यो0 स्वी0– 6/18 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0– रे0/यो0 स्वी0– 6/18 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0– रे0/यो0 स्वी0– 6/18 पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, किशनगंज/मुख्य कार्यपालक, जीविका, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, (IDA), उद्योग भवन, गाँधी मैदान पटना /सहायक उद्योग निदेशक (रे0), पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0– रे0/यो0 स्वी0– 6/18 829 पटना, दिनांक– 06-02-19
प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग एवं योजना शाखा–1(स0)/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थएवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।